

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/204 /

जबलपुर, दिनांक 16/01/2020

श्रीमती रत्ना उइके खान, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को न्यायिक शाखा के किमिनल अपील अनुभाग में डीलिंग असिस्टेंट-7 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण किमिनल अपील क्रमांक 2176/2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष बिना रिपोर्ट को फलैंग किये तथा अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा जमानत बांड की गैर-प्रस्तुति के संबंध में प्रासंगिक नोट न बनाते हुये सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने के फलस्वरूप अभिलेखनीय चेतावनी (Recordable) दी जाती है।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
16/01/2020

पृष्ठांकन क्रमांक C/205 /

जबलपुर, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए. आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्था./न्या. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सेवा अभिलेख/गोपनीय चरित्रावली में भविष्य के संदर्भ में रखे जाने हेतु,
8. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्रीमती रत्ना उइके खान, जूनियर, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)
16/01/2020